राष्ट्रीय लोक अदालत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 184/2022

निर्मला बाई पुत्री बिशना पत्नी हजारीलाल जाति मेघवाल निवासी सोनवां तहसील मांगरोल
हाल निवास सूल्तानपुर जिला कोटा

.......वादिनी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

......प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील वादिनी : श्री बुद्धिप्रकाश गालव

दायरा दिनांकः 22.11.2022 निर्णय दिनांक : 11.02.2023

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादिनी के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 102 खसरा नं0 168 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 245 रकबा 0.79 है0, खसरा नं0 246 रकबा 0.60 है0, खसरा नं0 388 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 389 रकबा 1.27 है0, खसरा नं0 466 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 467 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 65 रकबा 0.81 है0, खसरा नं0 73 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 74 रकबा 1.65 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 5.83 है0 वाके ग्राम सोनवां तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादिनी का नाम निर्मला बाई पुत्री बिशना के स्थान पर बच्चीबाई पुत्री बिशना दर्ज हो रहा है। जबकि वादिनी का वास्तविक नाम निर्मला बाई पुत्री बिशना है। जिसको वादिनी बच्चीबाई पुत्री बिशना के स्थान पर निर्मला बाई पुत्री बिशना दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादिनी का नाम अन्य दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार आदि में निर्मला बाई पुत्री बिशना दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में बच्चीबाई पुत्री बिशना के स्थान पर निर्मला बाई पुत्री बिशना दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादिनी का नाम बच्चीबाई पुत्री बिशना के स्थान निर्मला बाई पुत्री बिशना दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 22.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांकः–राजस्व/2023/44 दिनांक 24.01.2023 के अनुसार निर्मला बाई को घर पर बोलचाल की भांषा में बच्ची बाई के नाम से पुकारा जाता था जिससे नामान्तरण में बोलचाल की भाषा वाला नाम बच्चीबाई ही खाते दर्ज हो गया जबकि वादिनी का सही नाम निर्मला बाई ही है। बच्ची बाई व निर्मला बाई एक ही महिला के नाम है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम निर्मला बाई उर्फ बच्ची बाई सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट, संलग्न दस्तावेजो एवं बयान वादिनी स्वयं व नन्दलाल पुत्र बिशनलाल जाति मेघवाल निवासी सोनवां के आधार पर आराजी खाता संख्या 102 खसरा नं0 168 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 245 रकबा 0.79 है0, खसरा नं0 246 रकबा 0.60 है0, खसरा नं0 388 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 389 रकबा 1.27 है0, खसरा नं0 466 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 467 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 65 रकबा 0.81 है0, खसरा नं0 73 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 74 रकबा 1.65 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 5.83 है0 वाके ग्राम सोनवां तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादिनी का नाम बच्चीबाई पुत्री बिशना के स्थान पर निर्मला बाई उर्फ बच्ची बाई पुत्री बिशना दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादिनी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय में जैरकार हो उसके लिए वादिनी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मजमेआम सुनाया गया।

उपखण्ड

Scanned by CamScanner